कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकः आर-67/जे0डी0/लखनऊ-14(गौतम) 235 दिनांकः 30-8-2014

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक)
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण
ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स होम एण्ड सोल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0-जी0एच0 बी0-3 एस0डी0जैड, जे0पी0 स्पोर्ट काम्प्लैक्स यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2014/2977/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/431/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को प्रेषित की गयी जिनके द्वारा पत्रावली का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को प्रषित की गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः- प्लाट एरिया-14,166.500 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित भवन 03 टवरो के रूप मे निर्मित है जिसका एरिया विवरण निम्नवत हैः-

बेसमेन्ट-प्रथम-10,032.012 वर्ग मी0।

बेसमेन्ट-द्वितीय-10820.602 वर्ग मी0

कमांक	नाम तल	एरिया वर्ग मी0	अधिभोग
1	भूतल/स्टिल्ट कवर्ड एरिया	1962.801	
2	1 से 16	1583.260 प्रत्येक	आवासीय
3	17 से 26	1441.767 प्रत्येक	आवासीय
4	27 से 28	1179.292 प्रत्येक	आवासीय
5	29, व 30	598.930 प्रत्येक	आवासीय

ऊँचाईः- प्रश्नगत भवन की अधिकतम अधिभोग ऊँचाई-106.150 मीटर है।

भवन का अधिभोग विवरणः- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः- प्रश्नगत भवन एन0एफ0पी0ए0-5000 के अनुसार टाइप-1 लोड बियरिंग कन्स्ट्रक्शन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सर्विस शाफट व अन्य गतिविधिया जो आपातकालीन परिस्थितियों के अनुरूप कार्यशील होने आवश्यक है, उनमे भी टाईप-1 की निर्माण प्रस्तावित की गयी है।

1- पहुच मार्गः-भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 32 एवं 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वारः- प्रवेश द्वार की चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3- सैटबेकः- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

C-1733 02/09/14

Enclosed:- Drawings (approved by Fire dept.)

3018

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है, जिसमे भवन जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा प्रश्नगत भवन के पोडियम पर चारो ओर 09 मीटर का मोटरेबुल 75 टन भार क्षमता के हार्ड सरफेस युक्त खुले स्थान का प्राविधान किया गया है।

4–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे 03 स्टेयरकेश प्रस्तावित है, जिनकी चौडाई 1.5 मीटर प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5– रिफ्यूज एरियाः– प्रत्येक तल पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

6–फायर लिफटः– प्रश्नगत भवन मे फायर लिफट 1575 कि0ग्रा0 क्षमता की वॉच्छनीय है जिसकी क्षमता 600 कि0ग्रा0 से अधिक वॉच्छनीय है जिसकी संचालन सुविधाऐं पूर्णतया अग्नि निरोधक एवं इनक्लोजर सुविधाऐं 4 घण्टे तापरोधी क्षमता की आवश्यक है। प्रत्येक लिफ्ट वैल को प्रेशराईज किया गया है।

घ–अग्निशमन व्यवस्थायें:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 3,00,000.00 तीन लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक अग्निशमन कार्यो हेतु वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टी आउटलेट मल्टीहैड श्रेणी के होगे तथा समान क्षमता के पम्प सोशल लेविल–2 पर स्थापित किये जाने प्रस्तावित है जो एसएफपीई मानको के अनुसार पाये है।

3–टेरिस टैंकः–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0, के 03 अदद स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है जो मानको के अनुसार है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील एवं लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक तल पर 03 कि0ग्रा0/वर्ग से0मी0 प्रेशर उपलब्ध हों।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम की रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है तथा यह सुनिश्चित किया जायें कि प्रत्येक तल पर स्प्रिंकलर सिस्टम को संसाधनों यथा ग्रेविट व पम्प फीड से सप्लाई होगी ताकि किसी एक मे खराबी आ जाने के फलस्वरूप कार्यशीलता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार वॉच्छनीय है। डिटेक्शन सिस्टम को बिल्डिंग मेनेजमेन्ट सिस्टम को इण्टीग्रेट किया गया है ताकि डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होने के साथ समस्त फायर प्रिवेन्शन एण्ड प्रोटेक्शन सिस्टम मे वॉच्छनीय व्यवस्थायें यथा प्रेशराईजेशन, लिफट एवं स्टेयरवैल लाइटिंग, स्मोक एक्सट्रक्शन सिस्टम आदि से इण्टीग्रेट रहेगे।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन हेतु सैण्डविच प्रणाली को अपनाया गया है जिसमे फायर फलोर पर (-ve) नैगेटिव प्रेशर एवं उपरी व नीचे तल पर (+ve) पोजेटिव प्रेशर का प्राविधान किया गया है। बेसमेन्ट मे डक्टिड एक्सट्रेक्शन सिस्टम ही मान्य होगा है।

12–निकास मार्गो/ रिफयूज एरिया / लिफटवैल/ लिफट लाबी का प्रेशराईजेशनः– प्रश्नगत भवन मे समस्त निकास मार्गो यथा स्टेयरकेश, लिफ्ट, एवं कोरिडोर का प्रेशराईजेशन एनएफपीए मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

30/8

14–**पी0ए0 सिस्टमः**– प्रश्नगत मे इण्टीग्रटिड बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रस्तावित है, परन्तु लोकल इण्टरकाम की व्यवस्था की अलग से की जानी

15–**हैलीपेडः**– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

16–**प्रशिक्षित स्टॉफः**– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17–**वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थाः**– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है। सभी आपातकालीन व्यवस्थाऐं जैसे स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन डक्ट, लिफट केबल, एवं फायर पम्प आदि के केबल फायर प्रूफ यू0एल0 लिस्टिड प्रोडक्ट होगे।

18–**कन्ट्रोल रूमः**– प्रश्नगत भवन मे कन्ट्रोल रूम की स्थापना करायी जाये जिसमे पूरे भवन का डिटेक्शन सिस्टम का पैनल एवं अग्निशमन व्यवस्था के समस्त आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित हो तथा जिसमे प्रशिक्षत स्टॉफ नियुक्त होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स होम एण्ड सोल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0 बी0–3 एस0डी0जैड, जे0पी0 स्पोर्ट काम्प्लैक्स यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान नौएडा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010, एनएफपीए–101, एस0एफ0पी0ई0 इन्जिनियर्स गाईड व तत समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

2018

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स होम एण्ड सोल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0 बी0–3 एस0डी0जैड, जे0पी0 स्पोर्ट काम्प्लैक्स यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।